खण्ड – छै:
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

1. प्रस्तावना :

छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर तथा अन्य अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में इस्पात, सीमेंट, विद्युत परियोजनायें तथा उद्योग आदि काफी संख्या में स्थापित हुए हैं। साथ ही वन तथा कृषि पर आधारित उद्योग जैसे राईस मिल, पोहा मिल, प्लाईवुड, फर्नीचर आदि उद्योग भी स्थापित हुए हैं। राज्य में औद्योगिक गतिविधियां प्रमुख रूप से रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं दंतेवाड़ा में संचालित है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन :

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है।

3. अधिशासी अधिनियम/नियम :

वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है:–

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर नियम, 1978
4. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) छत्तीसगढ़ नियम, 1975
5. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम, 1975
6. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
7. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) छत्तीसगढ़ नियम, 1983
8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

4. प्रशासनिक संरचना :

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय राजधानी रायपुर में स्थापित किया गया है। रायपुर, दुर्ग–भिलाई, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में मंडल का क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वय तथा वित्तीय सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन व संरक्षण संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर एवं रायगढ़ क्षेत्र में स्पंज आयरन, पेपर, सीमेन्ट, फर्टीलाईजर तथा कुछ अन्य उद्योगों के साथ लघु/कुटीर उद्योग जैसे राईस एवं पोहा मिलें बहुतायत में स्थापित हैं। बोर्ड की संगठनात्मक संरचना एवं कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की वर्तमान संरचना

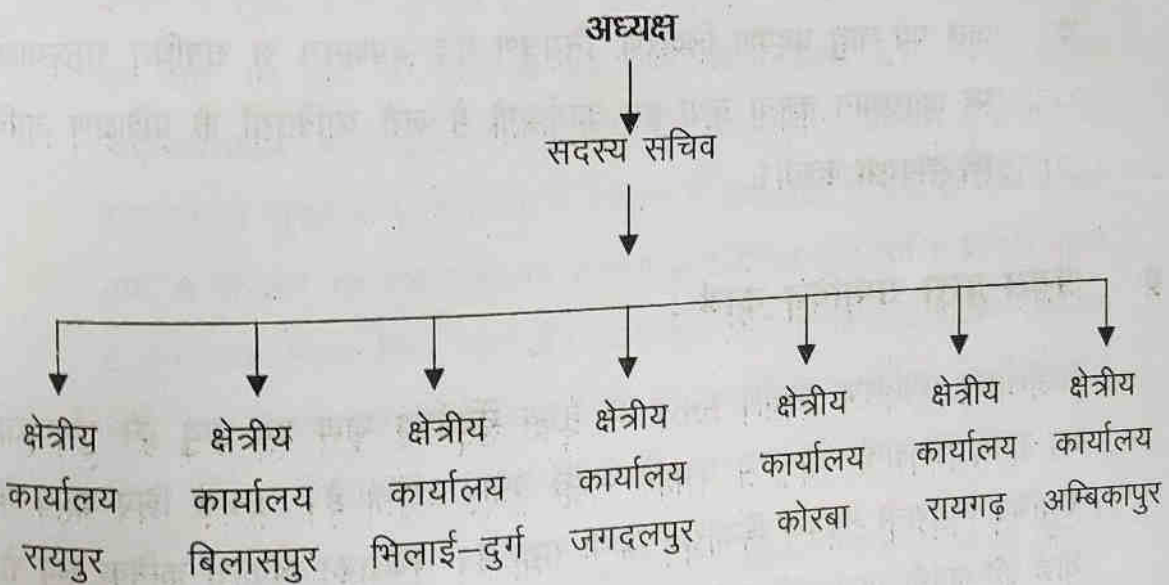

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मुख्य दायित्व :

केन्द्र एवं राज्यों में कार्यरत् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत्य जल तथा वायु अधिनियम में दर्शाये गये हैं। राज्य बोर्ड के मुख्य कृत्य संक्षेप में निम्नानुसार है:–

अ. राज्य सरकार को ऐसे उद्योगों को अवस्थित या उसके परिसर की उपयुक्तता के बारे में सलाह देना जिनसे नदी, कुओं आदि में अथवा वायु प्रदूषण की संभावना न हों।

ब. मल–जल तथा औद्योगिक बहिस्त्राव के शोधन और औद्योगिक संयंत्र, मोटर वाहनों तथा प्रदूषण के अन्य स्त्रोंतों के लिए मानक तैयार करना।

स. जल तथा वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करना तथा प्रदूषण निवारण एवं उपशमन के संबंध में कार्यवाही करने के लिए जल एवं अपशिष्ट जल शोधन संस्थाओं, वायु प्रदूषण उपस्करों, औद्यागिक या विनिर्माण प्रकरणों का निरीक्षण करना।

द. जल एवं वायु प्रदूषण निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान करना तथा इन कार्यक्रमों में लगे व्यक्तियों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।

6. मंडल द्वारा संपादित कार्य :

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु की गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाएं रखना है। इसके लिए राज्य में समुचित निगरानी नेटवर्क विकसित किया गया है। जिसका विकास क्रमिक रूप से बोर्ड की अपनी योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत हुआ है।

6.1. वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क :–

विचाराधीन वर्ष में राज्य में वायु गुणवत्ता की निगरानी हेतु निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत मॉनिटरिंग कार्य किया गया:–

(अ) राष्ट्रीय परिवेशीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम *(नेशनल एंबियेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम)*

इस योजना के अंतर्गत राज्य के तीन शहरों में सात स्थानों जिसमें आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित है, की सतत वायु मॉनिटरिंग कार्य किया गया। प्रत्येक स्थान पर सप्ताह में दो बार वायु मॉनिटरिंग कार्य किया जाता है। इस कार्य के दौरान सल्फर डाईआक्साईड (SO_2), नाइट्रोजन के आक्साईड (NO_2) एवं निलम्बित कण (SPM) का परीक्षण कार्य किया जाता है।

एस.पी.एम. नमूनों का एकत्रीकरण आठ घंटो की अवधि के अंतराल में तीन शिफ्ट में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक एवं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाता है। किन्तु सल्फर डाईआक्साईड एवं नाईट्रोजन डाईआक्साईड के नमूने 6 शिफ्ट्स में 4 घंटो के अंतराल से सुबह 6 से 10, 10 से दोपहर 2 बजे तक, 2 बजे से शाम 6 बजे तक, 6 से रात 10 बजे तक, 10 से रात 2 बजे तक एवं रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक एकत्र किये जाते हैं। विश्लेषण परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं। माह दिसम्बर 2006 तक विश्लेषित किये गये नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	पैरामीटर	नमूनों की संख्या दिसम्बर 2006 तक
1	एस.पी.एम.	1720
2.	आर.एस.पी.एम.	1720
3.	सल्फर डाईऑक्साइड	3417
4.	नाईट्रोजन डाईऑक्साइड	3417

(ब) उद्योगों के चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु की निगरानी

औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप संभावित वायु प्रदूषण पर सतत निगरानी रखने हेतु बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग करता है। माह दिसम्बर 2006 तक उद्योगों की चिमनियों से 588 एवं परिवेशीय वायु के 1096 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये। गुण धर्म के आधार पर समय–समय पर बोर्ड द्वारा उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

6.2 जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्कः–

राज्य में जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत मॉनिटरिंग कार्य किया जा रहा हैः–

(अ) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति :–

इस योजना को भी केन्द्रीय बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। योजना के अंतर्गत कुल 33 सेम्पलिंग स्थानों में नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य किया जाता है एवं विश्लेषण परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को भेजे जाते हैं। माह दिसम्बर 2006 तक 125 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया।

(ब) प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग :–

बोर्ड, केन्द्रीय अनुदान प्राप्त योजनाओं के अलावा स्वयं के वित्तीय व्यय से भी राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग का कार्य करता है। इसमें प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों, उनकी सहायक नदियों, झीलों बांध एवं तालाबों को

सम्मिलित किया जाता है। माह दिसम्बर 2006 तक 847 प्राकृतिक जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया।

(स) औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की निगरानी :–

उद्योग द्वारा उत्पादन प्रकिया के दौरान जल का उपयोग किया जाता है। उत्पादन प्रकिया के पश्चात् उद्योगों से निस्साररित जल की गुणवत्ता में कुछ भिन्नता पाई जाती है। निस्सारित जल में कई प्रदूषणकारी तत्वों के उपस्थित होने की संभावना रहती है। बोर्ड ऐसे उद्योगों को निर्देश देता है कि, वे दूषित जल, उद्योग परिसर के बाहर निस्सारित करने से पूर्व उनका शोधन इस प्रकार करें कि, शोधित दूषित जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार हो। उद्योगों से निस्साररित दूषित जल के नमूने बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एकत्रित कराकर उनकी गुणवत्ता का नियमित आंकलन करता है। माह दिसम्बर 2006 तक विभिन्न उद्योगों से कुल 682 दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया।

प्रदेश में जल प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति माह दिसम्बर 2006 तक

क्र.	विवरण	वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग	लघु उद्योग
1	कुल प्रदूषणकारी उद्योग	98	709
2	कुल उद्योग जहां जल उपचार संयंत्र स्थापित	98	473
3	कुल उद्योग जहां जल उपचार संयंत्र व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है अथवा उपचार संयंत्र लगाये जा रहे है	–	30

प्रदेश में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति
माह दिसम्बर 2006 तक

क्र.	विवरण	वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग	लघु उद्योग
1	कुल प्रदूषणकारी उद्योग	232	1093
2	कुल उद्योग जहां वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित	232	938
3	कुल उद्योग जहां वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का सुधार किया जा रहा है अथवा निर्माण कार्य प्रगति पर है।	—	58

6.3 परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन और हथालन) नियम 1989 यथा संशोधित नियम, 2003 :–

परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन और हथालन) नियम 1989 तथा यथा संशोधित नियम, 2003 के अन्तर्गत 156 उद्योगों की पहचान की गई तथा सभी 156 उद्योगों, जिनके द्वारा खतरनाक अपशिष्ठ उत्पन्न होता है, को इस नियम के दायरे में लाकर प्राधिकार दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 657/1995 में दिये गये आदेश के अनुपालन में कार्यवाही कराई गई/कराई जा रही है। खतरनाक अपशिष्ठों के संयुक्त निस्सारण हेतु स्थलों की पहचान करने तथा ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध करने हेतु जिलाध्यक्षों एवं खनिज अधिकारियों से सतत् पत्राचार किया जा रहा है। अभी तक सभी 16 जिलों में खतरनाक अपशिष्ठों के निस्सारण हेतु स्थलों की पहचान कर उनके पर्यावरणीय अध्ययन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार से पत्राचार किया जा रहा है।

6.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः–

छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 110 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 31 को भू–भरण स्थलों का समिति से अनुमोदन के फलस्वरूप प्राधिकार प्रदान किया गया है। उक्त में से 10 नगर निगम, 31 नगर पालिका परिषद एवं 32 नगर

पंचायतों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्टों के लिये भूमि भरण स्थलों का प्रारंभिक चयन कर लिया गया है। शेष निकायों द्वारा भी स्थल चयन का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम रायपुर, चिरमिरी, कोरबा, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं रायगढ़ तथा नगर पालिका धमतरी द्वारा जैविक खाद संयंत्र स्थापित कर लिया गया है।

6.5 पुर्नचक्रित प्लास्टिक प्रबंधन :–

पुनःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 के तहत् प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण एवं पुनःचक्रण से संबंधित प्रावधानों का पालन करवाया जाता है। नियम के प्रावधानों के अनुसार 20 माइक्रान से कम मोटी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से इस प्रावधान का पालन सक्षम रूप से कराया गया है।

6.6 ध्वनि प्रदूषण :–

राज्य के बड़े शहरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर मापने एवं उस पर नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। दीपावली के अवसर पर ध्वनि स्तर का मापन कार्य किया गया तथा यह पाया गया कि प्रदेश में रामनिवास चौक, रायगढ़ में दीपावली के दिन दिनांक 21–11–2006 को रात्रि 9 से 10 बजे के मध्य सर्वाधिक ध्वनि स्तर 130 डी.बी. रहा।

6.7 वाहन प्रदूषण :–

वाहनों के उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण का मापन बोर्ड द्वारा यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है तथा जनजागरण हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। माह दिसम्बर 2006 तक मंडल द्वारा 778 वाहनों की मॉनिटरिंग की गई, जिसमें 88 वाहन निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते हुए पाये गये तथा 690 वाहन निर्धारित मानकों से कम उत्सर्जन करते हुए पाये गये।

6.8 पर्यावरण पर प्रभाव संबंधी अध्ययनः–

प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के आंकलन हेतु इन्व्हायरोन्मेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट रिपोर्ट उद्योगों को निर्देशित कर विशेषज्ञों की सहायता से तैयार करवायी जाती है। पूर्व में लागू इन्व्हायरोमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट नोटिफिकेशन, 1994 को अधिक्रमित कर भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14–09–2006 को प्रकाशित किया गया है। इस नये नोटिफिकेशन की अनुसूची में वर्णित परियोजना/क्रियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को आवश्यक किया गया है। इस नोटिफिकेशन में स्टेट इन्व्हायरोमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी को अनुसूची में वर्णित 'ख' श्रेणी की परियोजना/क्रियाकलापों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अधिकार दिया गया है। जबकि अनुसूची के 'क' श्रेणी में वर्णित क्रियाकलापों के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने का प्रावधान है।

6.9 जल उपकर :–

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से केन्द्र शासन द्वारा जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं पर उनके द्वारा उपयोग किए गए जल के प्रयोजन एवं मात्रा के आधार पर उपकर निर्धारित किया जाता है।

6.10 जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 1998 :–

छत्तीसगढ़ राज्य में जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 1998 के प्रावधानों के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। राज्य के लगभग 500 चिकित्सा संस्थानों को इसके लिये राज्य में दुर्ग–भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं राजनांदगांव में संयुक्त चिकित्सा उपचार व्यवस्था स्थापित की गई हैं।

6.11 वृक्षारोपण :–

पर्यावरण संरक्षण मंडल, विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को अपने परिसर में सघन वृक्षारोपण पर विशेष बल देता है। औद्योगिक संस्थानों द्वारा वर्ष 2005–06 में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण की कुल संख्या 24,66,895 थी। वर्ष 2006–07 में वृक्षारोपण का लक्ष्य 26,15,925 निर्धारित किया गया है। मंडल के प्रयासों से प्रदेश के बड़े उद्योगों द्वारा काफी संख्या में वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

7. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अन्य विशिष्ट कार्यकलाप

7.1 पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु पर्यावरण पुरस्कार –

राज्य में पर्यावरण संरक्षण का कार्य करने तथा जागरूकता बढ़ाने हेतु जिस किसी संस्था, निकाय, संगठन अथवा उद्योग द्वारा श्रेष्ठतम कार्य किया जायेगा, उन्हें वनवासी संत गरिया गुरूजी महाराज छत्तीसगढ़ पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। दो लाख रूपये का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2005–06 का यह पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन संस्थाओं धरोहर समिति कोण्डागांव, श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान अकलतरा तथा शास. आदर्श उच्च. माध्यमिक शाला, बसना, महासमुन्द को दिया गया है।

7.2 नेशनल ग्रीन कोर का गठन –

मंडल द्वारा प्रदेश के समस्त 16 जिलों के 250–250 स्कूलो में इको क्लब शुरू किये गये हैं। इन इको क्लब के छात्र नेशनल ग्रीन कोर (राष्ट्रीय हरित सेना) के रूप में जाने जाते है। प्रत्येक शाला में 50 के मान से 4000 स्कूलों के 2,00,000 बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रतिवर्ष प्रति इको क्लब रूपये 2,500/– अनुदान राशि इको क्लब स्कूलों को वितरित की जाती है।

7.3 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मंडल में एनविस सेन्टर की स्थापना –

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विगत वर्षों में मंडल में विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियों के संचालन हेतु एनविस नोड की स्थापना की गई थी। मंडल के कार्य कलापों एवं उत्कृष्ट गतिविधियों के दृष्टिगत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मंडल के एनविस नोड को एनविस सेन्टर में परिवर्तित किया गया है। एनविस सेन्टर द्वारा एनविस न्यूज़ लेटर तथा विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर फोल्डर आदि का प्रकाशन किया जाता है। मंडल द्वारा एनविस वेबसाईट भी प्रारम्भ की गई है, जिसमें न केवल मंडल की गतिविधियों, उपलब्धियों एवं कार्यकलापों का विवरण दिया गया है, अपितु विभिन्न नियमों एवं अधिनियमों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। मंडल का यह एनविस सेन्टर निरन्तर जन–साधारण को विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर जानकारी भी प्रदान करता है।

7.4 छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना में मंडल पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में कार्यरत् –

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति, जाति एवं विशेषकर महिलाओं की आय बढ़ाने तथा उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना बनायी गयी है। मंडल इस महत्वपूर्ण विश्व बैंक परियोजना में पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।

7.5 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की राज्यस्तरीय प्रयोगशाला राज्यस्तरीय संदर्भ प्रयोगशाला नामांकित –

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेय जल प्रदाय योजनाओं में भारतीय संस्था के पेय जल मानको के अनुसार पेय जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय

कार्यालय, रायपुर स्थित प्रयोगशाला का चयन कर राज्य स्तरीय संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में किया गया है।

7.6 ग्रीन प्रोडक्टिविटी –

एशियन उत्पादकता संगठन (ए.पी.ओ.) जापान के तकनीक मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन.पी.सी) नई दिल्ली के सहयोग से ग्रीन प्रोडक्टीविटी, सिद्धांत को उद्योगों में लागू कराया जाकर उत्पादकता के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार कराया जा रहा है। इस बाबत् समय–समय पर वर्कशाप/सेमीनार इत्यादि आयोजित कर उद्योगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

7.7 स्थानीय संस्थाओं में भूमिका –

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थानीय संस्थाओं की अहम भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण विभाग एवं मंडल द्वारा विभिन्न पर्यावरण अधिनियम/नियमों के पालन हेतु स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जाने वालो कार्यवाही के संबंध में उन्हें प्रेरित करने हेतु समय–समय पर पत्र तथा व्यक्तिगत सम्पर्क कर मार्गदर्शन दिये जाते रहे हैं।

7.8 धार्मिक मेलों के अवसर पर जन जागरण कार्यकम का आयोजन–

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा महाशिवरात्रि के पर्व पर राजिम में महानदी तट पर, एवं सिमगा में शिवनाथ नदी तट पर, महाशिवरात्रि के पर्व पर बिलासपुर कार्यालय द्वारा पीथमपुर (चाम्पा) व शिवरीनारायण, नवरात्रि के पर्व पर दुर्ग–भिलाई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा डोंगरगढ़, तथा नवरात्रि के पर्व पर जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दंतेवाड़ा जिले में शंखनी–डंखनी नदी तट पर आयोजित मेलों में जनजागृति के कार्यक्रम चलाए जाते है।

7.9 फ्लाई ऐश :–

छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण बढ़ती बिजली की मांग की पूर्ति में छत्तीसगढ़ में स्थित विभिन्न तापीय विद्युत संयंत्रों का विशेष योगदान रहा है। राज्य में कोरबा ऊर्जा नगरी के नाम से विख्यात है। वैसे तो राज्य के विभिन्न स्थानों में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है, लेकिन मुख्यतः कोरबा में कोयले के अपार भंडारण के कारण कोयला आधारित चार प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। जिनमें हजारों मेट्रिक टन राखड़ (फ्लाई एश) उत्पन्न होता है। फ्लाई एश का अधिकतम उपयोग किये जाने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 1999 को फ्लाई एश संबंधी अधिसूचना जारी कर विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों एवं संबंधित शासकीय विभागों को उक्त अधिसूचना के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में माह दिसम्बर 2006 तक लगभग 44 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग अधिसूचना अनुसार किया जा रहा है।

फ्लाई ऐश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की नियमित अन्तराल पर बैठक का आयोजन व स्थिति की समीक्षा की जा रही है ।

7.10 जन जागरण हेतु मंडल द्वारा किये जा रहे प्रयास –

(अ) 05 जून 2006, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनवासी संत गहिरा गुरूजी महाराज छत्तीसगढ़ पर्यावरण पुरस्कार समारोह संगोष्ठी व प्रदर्शनी का आयोजन।

(ब) 22 अप्रैल 2006, पृथ्वी दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों की पोस्टर प्रतियोगिता व फिल्म शो का आयोजन।

(स) 16 सितंबर 2006, अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर इको क्लब स्कूलों के राज्य स्तरीय बाल मेले का आयोजन एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं व रैली।

(द) मंडल की वेबसाइट प्रारंभ।

(इ) मंडल में पर्यावरणीय सूचना केन्द्र प्रारंभ।

(फ) मंडल के कियाकलापों की जानकारी जन साधारण को देने हेतु मंडल के यूज लेटर का नियमित प्रकाशन।

(ज) स्वंयसेवी, शैक्षणिक संस्थानों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ पर्यावरण प्रचार–प्रसार हेतु तालमेल।

(ह) नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के लिये वाद–विवाद, भाषण, निबंध, रैली, वृक्षारोपण, पोस्टर प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता लाने का प्रयास।

8. वित्तीय प्रबंधन :

छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल को जल उपकर, स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क इत्यादि से राशि प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त विभिन्न कायक्रमों, प्रयोगशाला उपकरणों हेतु केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा वित्तीय अनुदान भी प्रदान किया जाता है । वर्ष 2006–07 में राज्य शासन द्वारा मद संख्या 2215–8049 पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन को प्रदूषण निवारण हेतु अनुदान के अंतर्गत राशि रू. 140.00 लाख का प्रावधान रखा गया है । इसके विरूद्ध जनवरी 2007 तक राशि रू. 19.75 लाख अनुदान के रूप में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रदान किया गया है।

——00——